राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)
Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक:एफ9(247)/स्टोर/A.C-AMC/2024–25/4135 दिनांक: 30.05.2024

कोटेशन के लिए अनुरोध –04/2024–25

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मुख्यालय कार्यालय, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर में संस्थापित 17 ए.सी. (एयरकण्डीशनर्स) के वार्षिक रखरखाव की दर संविदा पार्टस एवं इंस्टॉलेशन/अनइंस्टॉलेशन संबंधित कार्य करवाये जाने हेतु इस क्षेत्र में कार्यरत फर्म/संवेदकों से दरें प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार कोटेशन आमंत्रित की जाती हैं–

Sr. No	Particulars	Unit	Offered Rate (Incl. Applicable all Taxes) for below Items / Works
1.	Service (Including Labour Chagres)	Per Unit	
2.	Gas Refilling Chagres - R-22 (Including Labour Chagres)	Per Unit	
3.	Gas Refilling Chagres - R-32 (Including Labour Chagres)	Per Unit	
4.	Gas Refilling Chagres - R-410 (Including Labour Chagres)	Per Unit	
5.	Gas Refilling Chagres Nitrogen (Including Labour Chagres)	Per Unit	
6.	Installation Charges (Including Labour Charges)	Per Unit	
7.	Dismantling Charges (Including Labour Charges)	Per Unit	
8.	Copper Piping Wiring Insulation (Including Labour Charges)	Per Unit	
9.	Air Filter (Including Labour Charges)	Per Unit	
10.	Capacitor (Including Labour Charges)	Per Unit	
11.	Copper Condenser – Indoor (Including Labour Charges)	Per Unit	
12.	Copper Condenser – Outdoor (Including Labour Charges)	Per Unit	
13.	3 Core Wire (Including Labour Charges)	Per Unit	
14.	Plastic Pipe (Including Labour Charges)	Per Unit	
15.	Compressor Replacement (Including Labour Charges)	Per Unit	
16.	Leakage winding Related Work (Including Labour Charges)	Per Unit	
17.	Power Box (Including Labour Charges)	Per Unit	
18.	P.C.B. Repairing Charges (Inverter A.C.) (Including Labour Charges)	Per Unit	
19.	P.C.B. Repairing Charges (Non-Inverter A.C.) (Including Labour Charges)	Per Unit	

20.	New P.C.B. Charges (Inverter A.C.) (Including Labour Charges)	Per Unit	
21.	New P.C.B. Charges (Non-Inverter A.C.) (Including Labour Charges)	Per Unit	
22.	A.C. Remote	Per Unit	
23.	Fan Capacitor (Including Labour Charges)	Per Unit	
24.	Fan Motor Repairing Charges (Including Labour Charges)	Per Unit	
25.	Hole Mape in The Wall (Including Labour Charges)	Per Unit	
26.	Condenser Coil Change (Including labour Charges)	Per Unit	
27.	AC Outdoor Stand (Including labour Charges)	Per Unit	
28.	New outdoor Fan Motor (Including labour Charges)	Per Unit	
29.	Swing Motor (Including labour Charges)	Per Unit	
30.	Bloor Motor (Including labour Charges)	Per Unit	
31.	Flap (Including labour Charges)	Per Unit	
32.	Outdoor Fan Bled New (Including labour Charges)	Per Unit	
33.	Drain Pipe (Including labour Charges)	Per Unit	
34.	Flair Nut (Including labour Charges)	Per Unit	
35.	Outdoor Valve (Including labour Charges)	Per Unit	
36.	Visit/Call Charges	Per Visit	

कोटेशन दिनांक 03.06.2024 को प्रातः 11.00 बजे तक बन्द लिफाफों में स्वीकार की जायेंगी, इसके पश्चात् प्राप्त कोटेशनों पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित समय तक प्राप्त कोटेशन उसी तिथि को दोपहर 12.00 बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय चैम्बर में विभागीय उपापन समिति के समक्ष एवं उपस्थित कोटेशनदाताओं के समक्ष खोले जावेंगे। इस कार्य पर लगभग 60000 हजार रुपये व्यय होना सम्भावित है।

कोटेशन की शर्तेः–

कोटेशन–दाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी कोटेशन भेजते समय इनका पूर्णरूपेण ध्यान रखते हुए प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।

1. कोटेशन बंद लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।
2. कोटेशन की दरें शब्दों एवं अंकों, दोनों में बिना कांट–छांट स्पष्ट रूप में अंकित होनी चाहिए। शब्दों एवं अंकों में राशि में अंतर होने पर शब्दों में अंकित राशि सही मानी जावेगी।
3. Rate Contract for Maintenance of split / window A.C. and other items / works of A.C. को अथवा उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेंगा। (सब्लेट नहीं करेगा)

4. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को बिना कारण बताये कोटेशन के लिए अनुरोध किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार होगा।
5. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के अलावा अन्य कोई भी शर्तें स्वीकार नही होगी।
6. क्रय समिति को पूर्ण अथवा आंशिक कोटेशन स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
7. कोटेशन में प्रेषित दरों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का टैक्स देय हो तो कोटेशन में अलग से अंकित करें।
8. कार्य संतोषप्रद होने पर ही भुगतान देय होगा।
9. कोटेशन के साथ फर्म का रजिस्ट्रेशन, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. सेवा प्रदाता फर्मो द्वारा कोटेशन प्रेषित करने से पूर्व, कार्यालय समय में कार्य का निरीक्षण किया जा सकता है।
11. सभी एयर कंडीशनर्स (ए.सी.) का सर्विस/मरम्मत कार्य फर्म के प्रशिक्षित सर्विस इंजिनियरों द्वारा ही किया जावेगा।
12. कॉल करने पर कॉल 03 घण्टे में पूरी करने की जिम्मेदारी फर्म की होगी। तीन घण्टे में कॉल अटेण्ड नहीं किये जाने की स्थिति में रूपये 50/– प्रति घण्टे की दर से पैनल्टी राशि वसूल की जावेगी एवं इसके पश्चात् विभाग बाजार से कार्य करवाने हेतु स्वतंत्र होगा जिस पर होने वाले व्यय की वसूली फर्म से की जावेगी।
13. गैस व कम्प्रेशर बदलने की स्थिति में उसे बदलने से पहले कार्यालय को सूचित करना होगा।
14. विभाग में स्थापित एयर कंडीशनर्स (ए.सी.) की मरम्मत/सर्विस के दौरान क्षति होती है तो इसके लिए स्वयं कोटेशनदाता उत्तरदायी होगा।
15. गैस व कम्प्रेशर बदलने की स्थिति में उसे बदलने से पहले कार्यालय को सूचित करना होगा।
16. संलग्न सूची के अतिरिक्त अन्य ए.सी. लगने पर उनका रख–रखाव भी उक्त स्वीकृत दर पर ही करना होगा।
17. मशीनों में ओरिजनल पार्टस लगाने होंगे एवं अनुबंध के अनुसार ही बदले जाएँगे एवं बदले गये पार्ट्स विभाग के स्टोर अनुभाग में जमा करवाये जाकर इस आशय की रिपोर्ट बिल पर करनी होगी, जिसके पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ होगी।
18. किसी भी विवाद की स्थिति में सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
19. उक्त शर्तों के अतिरिक्त RTPP नियम 2013 की शर्तें भी लागू होगी।

30/5/2024

निदेशक

क्रमांकःएफ9(247)/स्टोर/A.C-AMC/2024–25/4189-4192 दिनांकः 30.05.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा/नोटिस बोर्ड राज. उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।
2. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित/रक्षित पत्रावली।
4. मैसर्स ....

उप सचिव (स्टोर प्रभारी)